न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं. : 2025/77 दर्ज दिनांक : 08.09.2025

1. शंकरलाल पुत्र गणपतराम जाति कुम्हार प्रजापत निवासी धीरासर चारणान तहसील वा जिला चूरू।
2. श्रवणकुमार पुत्र गणपतराम जाति कुम्हार प्रजापत निवासी धीरासर चारणान तहसील वा जिला चूरू

–वादी–

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरू

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
वादी श्री त्रिर्षिराजसिंह शेखावत
प्रतिवादी पैरोकार राज।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136
भू–राजस्व अधिनियम , 1956

: निर्णय :

1. यह कि कृषि भूमि पुरानी खसरा संख्या 58 रोही धीरासर चारणान तहसील चूरू में स्थित है, चली आ रही है, जिसकी खातेदारी प्रर्थीगण वा अन्य सहखातेदारन के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित चली आ रही है, जिसके काबिज काश्तकार प्रथिगण है, उपरोक्त भूमि प्रार्थीगण वा अन्य सहखातेदारान के ही खातेदार वा उपभोग उपयोग की भूमि चली आ है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी संवत 2071 से 2074 की प्रति प्रार्थना पत्र हाजा के सलग्न है।
2. यह कि कृषि भूमि साबिक ख. नं 56 रोही धीरासर चारणान तहसील चूरू कृषि भूमियां प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी वा कब्जा काश्त की भूमि थी।जिस पर प्रार्थीगण मौके पर अलग–अलग काश्त वा कब्जे में चले आ रहे थे वा पाक्षकारो ने अपनी भूमियों का अलग–अलग विभाजन कर रखा था तथा सदामत से ही अपनी–अपनी जमीन पर कब्जा कर लिया था। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड सभी पक्षकारों का संयुक्त चला आ रहा था।
3. यह है कि प्रार्थीगण की ओर से 2 में अंकित कृषि भूमि को सभी प्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से के अनुसार अलग–अलग काश्तकारी करते चले आ रहे थे और राजस्व रिकार्ड संयुक्त चला रहे था, जिसके कारण प्रार्थीगण ने अपने–अपने हिस्से में भूमि के उपयोग के अनुसार उपभोग के.सी.सी. लेने तथा कृषि ऋण लेने आदि कृषि उद्यमों में बाधा वा परेशानी हो रही थी, जिससे सभी पक्षकारों ने आपस में बातचीत वा सलाह मसवीरा कर अपने–अपने काबिज भूमि को अलग–अलग करवाने हेतु सहमत हुए वा कैम्प जासासर में आपसी सहमति पूर्वक दिनांक 07.02.2013 को अपने–अपने हिस्से की भूमि को सभी पक्षकारों ने हस्ताक्षर करते हुए विभाजन हेतु अपने–अपने कृषि भूमि के दस्तावेज तहसीलदार चूरू के समक्ष कैम्प में प्रस्तुत किये।
4. यह है कि तहसीलदार चूरू द्वारा कैम्प जासासर में अंतिम आदेश क्रमांकः– /कैंप/13/दिनांक 07.02. 2013 के द्वारा उक्त विभाजन की पत्रावली में विभाजन का आदेश दिया गया, जिसमें सं 1 व 2 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

साथ उक्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियों का खाता अलग–अलग करते हुए अलग कायम करवाने का आदेश फरमा दिया। उक्त आदेश के अनुसार राजस्व कर्मचारियों द्वारा इंतकाल सं 471 दिनांक 13.02.13 को स्वीकृत किया गया, जिसके पश्चात् वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड कायम हो गया। उक्त विभाजन आदेश के बाद पक्षकारों प्रार्थीगण का कृषि भूमि मे से हिस्सा यानी रकबा तो सही सही दर्ज किया गया है। वा विवादित साबिक खसरा नम्बर 56 रोही धीरासर चारणान तहसील चूरू को छोडकर बाकी शेष खसरों का नक्शा ही सही–सही अंकन वा दर्ज किये गये है परन्तु साबिक खसरा संख्या खसरा संख्या 56 जिसके हाल खसरा संख्या 319/56 वा 320/56 का राजस्व नक्शा में नम्बर अंदाजी सही दर्ज नहीं की गई है जो आज भी गलत अंकित चली आ रही है मौके पर कब्जा काश्त के मुताबिक व विभाजन आदेश दिनांक 07.02.2013 में अंकित अनुसार साबिक खसरा संख्या 56 रोही धीरासर चारणान में प्रार्थी संख्या 01 शंकरलाल पूर्वी तरफ काबिज है तथा प्रार्थी संख्या 02 श्रवण कुमार पश्चिम तरफ काबिज है जबकि राजस्व नक्शा गलत अंकित कर दिया गया है उपरोक्त अंकित खसरों का नक्शा एक्स में पक्षकारान की नंबरदाजी सही दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से की भूमि उपयोग–उपभोग लेने में बाधा वा विवाद हो रहा है। जिसका कारण प्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमियों का नक्शा मौके पर कब्जा के मुताबिक वा प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा के के मुताबिक राजस्व नक्शा तरमीम दुरूस्ती के अनुसार दुरूस्ती किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

5. यह कि आवेदक भोले भाले ग्रामीण व्यक्ति वा कृषक है जिन्हे राजस्व कानून वा नियमो की जानकारी नहीं है, आवेदक द्वारा 2013 मे कैम्प जासासर के अन्तर्गत सभी सहखातेदारो ने एक राय राजस्व कर्मचारियो को उपरोक्त मद सं 2 में अंकित कृषि भूमि को हम सभी सहखातेदारन को अपनी काबिज भूमि को डिवाइड करने वा अलग–अलग खाता वा लगान कायक करवाने बाबत कहा जिस पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा फॉर्म पर हस्ताक्षकर करवाकर हम सभी सह खातेदारान का विभाजन करवा दिया प्रार्थीगण को राजस्व नियमों व नक्शा की जानकारी नहीं होने से सहवन भूल से ख. नं. 56 का विभाजन में नक्शा की नंबरअंदाजी गलत अंकित कर दिया गया था जिसके मुताबिक अब गलत नक्शा हाल खसरा संख्या 319/56 व 320/56 रोही धीरासर चारणान के राजस्व नक्शा की नंबर अंदाजी गलत अंकित हो गया है जबकि सही–सही वा मौके अनुसार साबिक खसरा संख्या 56 के पूर्वी तरफ खसरा संख्या 320/56 व पश्चिममि तरफ खसरा संख्या 319/56 रोही धीरासर चारणान अंकित किया जावे इसी आशय की रिपोर्ट हम पक्षकारान अपने विभाजन की सहमति पत्रावली दिनांक 07.02.2013 में दी गई है इसी मुताबिक दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड सही–सही दर्ज किया जावे सिके लिए यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

6. यह कि साबिक ख0 नं. 56 रोही धीरासर चारणान की कृषि भूमि में से प्रार्थीगण के खातेदारी हिस्सो को छोड़कर तो विभाजन के मुताबिक नक्शा का इंतकाल आदि कायम करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त खसरो की नये बने राजस्व नक्शा की नंबर अंदाजी गलत कर दी गई है जिसमें मुताबिक प्रार्थी सं. 01 के काबिज वा विभाजन में अंकित कब्जा ाकश्त की भूमि का खसरा संख्या 320/56 गलत कायम कर दिया गया जबकि प्रार्थी सं. 01 के खसरे की नक्शा में नंबर अंदाजी खसरा संख्या 319/56 गलत कायम कर दिया गया जबकि प्रार्थी सं. 01 के खसरे की नक्शा मेंनंबर अदाजी चासरा संख्या 319/56 के स्थान पर पर कायम की जानी चाहिए थी वा इसी प्रकार से प्रार्थी सं. 02 के काबिज व विभाजन में अंकित कब्जा काश्त [illegible] का नक्शा की नंबर अंदाजी गलत कायम कर दिया गया जबकि प्रार्थी सं. 02 के [illegible] की राजस्व नक्शा की नंबर अंदाजी खसरा संख्या 320/56 के स्थान पर [illegible] आदेश तहसीलदार चूरू द्वारा किया गया था परन्तु राजस्व [illegible] आ रहा है जिससे पक्षकारो के मध्य हिस्सा कस्सी को लेकर मौके पर विवाद पैदा हो गया है व [illegible]कारान के मध्य हिस्सा कस्सी को लेकर मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पर विवाद पैदा हो गया है वा पक्षकारान को मौके पर भूमि के उपयोग उपभोग में विवाद वा परेशानिया पैदा हो रही है।

7. यह कि उपरोक्त विभाजन आदेश के साथ पटवार विभाग द्वारा बनाया गया नक्शा पर पक्षान के सहमति हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि साबिक ख नं 56 के हाल खसरा संख्या 320/56 वा 319/56 रोही धीरासर चारणान तहसील चूरू के प्रार्थीगण ने अपने व्यक्तिगत हिस्से पर हस्ताक्षर किया है, जबकि राजस्व रिकार्ड मे नक्शा की संख्या अनुमानित राजस्व कर्मचारी द्वासरा साहवन भूल से गलत दर्ज किया गया है जो राजस्व मानचित्र विभाग के आदेश पत्र में दर्ज किया गया है। 07.02.13 का खसरा नंबर 320/56 प्रार्थी सं. शंकरलाल के नाम से खसरा संख्या 319/56 राही धीरासर चरण का नंबर अदाजी प्रार्थी से 2 श्रवणकुमार के नाम से अंकित है कि कितना ऊंचा खसरो का नंबर समान से सहावन का गलत नक्शा है, न कि अदाजी से खसरा संख्या 320/56 पश्चिमी दिशा में गलत दर्ज होना चाहिए जबकि पूर्वी स्थान पर दर्ज होना चाहिए वा खसरा संख्या 319/56 प्रार्थी से 2 के नाम से पूर्वी स्थान पर दर्ज होना चाहिए जबकि पश्चिमी दिशा में प्रवेश किया जाना चाहिए था, इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से सही संकलन के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा भेजा गया था। मौके के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे नक्शा अडाजी होने का नंबर पुष्टिकरण अपने काश्तकारी अधिकारो का उपयोग उपभोक्ता आवेदन रूप से कर पिगा वा माचिस पर एस्थिट झगड़ा फसाद समाप्त हो जावेगा तथा अपने मतदाती अधिकारो की रक्षार्थ प्रार्थी को यह गलत साम्यवादी मानचित्र का नंबर अंदाजी का सही अंकन दस्तावेज का अधिकार प्रार्थी को पूर्ण रूप से प्राप्त किया गया है। राजस्व मानचित्र का मकबरे पर कब्ज़ा के अनसार खींची गई कृषि उत्पाद योजना के लिए यह प्रार्थना पत्र स्ट्रीम धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जा रहा है।

8. यह कि अदालत वाले को प्रार्थना पत्र हाजा का अवलोकन अधिकार प्राप्त है और प्रार्थना पत्र निर्धारित शुदा न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकृति फर्माया जावे एवं कृषि भूमि साबिक खसरा संख्या 56 रोही धीरासर चारणान तहसील चूरू विभाजन आदेश दिनांक 07.02.2013 के बाद गलत रूप से राजस्व मानचित्र की संख्या अंदाजी को मौके पर काबिज पक्षकारों के मुताबिक वा विभाजन आदेश दिनांक 07.02.13 के सालगन के अनुसार साबिक खसरा संख्या 56 के हाल खसरा संख्या 319/56 वा 320/56 रोही धीरासर चारणान के राजस्व मानचित्र का सही नंबर अंदाजी 320/56 का राजस्व नक्शा में अंकन उपरोक्त खसरे के पूर्वी तरफ किया जावे यानी राजस्व नक्शा में 319/56 के स्थान पर वा खसरा संख्या 319/56 की राजस्व नक्शा में नंबरअंदाजी वा अंकन वर्तमान नक्शा में पश्चिम तरफ किया जावें यानी वर्तमान खसरा संख्या 320/56 के स्थान पर इसी प्रकार से सही-सही राजस्व नक्शा कायम किया जाकर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार सही राजस्व नक्शा की नंबर अंदाजी दुरूस्त करवाई जाने हेतु तहसीलदार साहब चूरू को आदेशित किया जावे।

प्रार्थना-पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी की पर तामिल होने पश्चात् ही उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया इसलिए इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई बहस में अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि उपरोक्त खसराजात में वर्तमान नक्शा तहसीलदार चूरू के आदेश दिनांक 07.02.2013 के मुताबिक न होकर विपरीत है जिसे संशोधित किया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी जाकर [illegible] अवलोकन किया गया जिससे पश्चिम दिशा में शंकरलाल का हिस्सा है [illegible] का हिस्सा है कि राजस्व नक्शा में विपरीत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, उपलब्ध दस्तावेज, नजरी नक्शा, विभाजन आदेश, जमाबंदी प्रतियों और अधिवक्ता प्रार्थी की बहस का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। साबिक खसरा संख्या 56 रोही धीरासर चारणान, पूर्व में संयुक्त खातेदारी की भूमि थी। यह भूमि प्रार्थीगण द्वारा वर्षों से "अलग–अलग कब्जा व काश्त' में रही है, जिसमें पूर्वी हिस्सा प्रार्थी संख्या 02 श्रवणकुमार पश्चिमी हिस्सा प्रार्थी संख्या 01 शंकरलाल की काश्त में था। वर्ष 2013 में राजस्व विभाग द्वारा कैंप जासासर में दिनांक 07.02.2013 को पक्षकारों की सहमति से विधिवत विभाजन किया गया उक्त विभाजन आदेश में पक्षकारों के हस्ताक्षर, कब्जे का विवरण, तथा खसरा संख्या–56 का आपसी बँटवारा स्पष्ट अंकित है परंतु विभाजन आदेश के अनुरूप राजस्व नक्शा में नंबर–अंदाजी दर्ज नहीं की गई तथा 320/56 और 319/56 नंबर उलटे अंकित कर दिए गए जिससे मौके का कब्जा और राजस्व अभिलेख दोनों परस्पर विरोधाभासी हो गए। वादीगण ने नजरी नक्शा संलग्न कर नक्शा दुरूस्ती का अनुरोध किया।

विभाजन आदेश दिनांक 07.02.2013 आदेश में स्पष्ट रूप से दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं। विभाजन में के संलग्न नजरी नक्शा से स्पष्ट है कि पूर्व भाग श्रवणकुमार पश्चिम भाग शंकरलाल प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित कब्जे की स्थिति विभाजन आदेश से पूर्णतः मेल खाती है। जमाबंदी संवत 2071–2074 भूमि पर प्रार्थीगण का काश्त अधिकार दर्शाती है। खातेदारी विवादित नहीं है केवल नक्शा नंबर–अंदाजी त्रुटिपूर्ण है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा हाल ख.सं. 319/56 एवं 320/56 उलटे दर्ज कर दिए गए। यह त्रुटि विभाजन आदेश से स्पष्ट रूप से असंगत है। त्रुटि लिपीकीय त्रुटी प्रतीत होती है। धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 धारा 136 स्पष्ट करती है कि राजस्व अभिलेख अथवा नक्शे में यदि कोई स्पष्ट त्रुटि, चूक, अथवा गलत नंबर–अंदाजी पाई जाए और यदि त्रुटि दस्तावेज़ों से प्रमाणित हो, तो न्यायालय अभिलेख संशोधन/दुरूस्ती का आदेश पारित कर सकता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चूरू को निर्देश दिये जाते हैं कि तरमीम की जांच करते हुए न्यायालय तहसीलदार चूरू द्वारा प्रार्थना पत्र क्रमांक/कैम्प/131 दिनांक 07.02.2013 में पारित आदेश दिनांक 07.02.2013 के साथ संलग्न उभयपक्षकारों की सहमति युक्त नजरी नक्शा के अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

यह आदेश आज दिनांक 26.11.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(सुनील कुमार–।)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:48 IST
Reason: SelfAttested